निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
350 / 2020	17.12.2020	16/9/25

1. गिर्राज पुत्र रतनलाल, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
2. भरतलाल पुत्र रतनलाल, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर––वादीगण

बनाम

सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ––प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :– श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादीगण के पिता रतनलाल एवं रामजीलाल आपस मे सगे भाई थे। रामजीलाल लाऔलाद अविवाहित फोत हो गया। रामजीलाल की विरासत उनके मरने के वाद वादीगण के नाम पुत्र बनाकर गलत दर्ज कर दी गई। रामजीलाल के मरने के बाद उनकी विरासत वारिस के आधार पर दर्ज करनी चाहिए थी ना कि पुत्र के आधार पर परन्तु राजस्व कार्मिकों ने विरासत खोलते समय गलत रूप से वादीगण को रामजीलाल का पुत्र अंकित कर दिया। रामजीलाल की खातेदारी भूमि ख0न0 411 रकबा 2.44 है0, ख0न0 4112 रकबा 0.08 है0, ख0न0 2413 रकबा 0.20 है0, ख0न0 2414 रकबा 0.60 है0, ख0न0 2422 रकबा 0.15 है0, ख0न0 2423 रकबा 0.21 है0, ख0न0 2452 रकबा 0.99 है0, ख0न0 2456 रकबा 0.10 है0, ख0न0 64 रकबा 0.14 है0 वादी भरतलाल के नाम दर्ज कर दी गई तथा ख0न0 1 रकबा 4.00 है0, ख0न0 2369 रकबा 0.11 है0, ख0न0 2391 रकबा 0.68 है0, ख0न0 2411 रकबा 0.23 है0 गिर्राज के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि मे से रामजीलाल का नाम हजफ कर भरतलाल व गिर्राज पिसरान रतनलाल का नाम अंकित किया जावें। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हल्का पटवारी के माध्यम से वादीगण को दिनांक 1.10.2020 को होने पर वादकारण उत्पन्न हुआ है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि ख0न0 411 रकबा 2.44 है0, ख0न0 4112 रकबा 0.08 है0, ख0न0 2413 रकबा 0.20 है0, ख0न0 2414 रकबा 0.60 है0, ख0न0 2422 रकबा 0.15 है0, ख0न0 2423 रकबा 0.21 है0, ख0न0 2452 रकबा 0.99 है0, ख0न0 2456 रकबा 0.10 है0, ख0न0 64 रकबा 0.14 है0 ख0न0 1 रकबा 4.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 16:39:24 IST
Reason: SelfAttested

है0, ख0न0 2369 रकबा 0.11 है0, ख0न0 2391 रकबा 0.68 है0, ख0न0 2411 रकबा 0.23 है0 ग्राम उदेईखुर्द मे वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे गिर्राज, भरतलाल पुत्रान रामजीलाल हजफ कर गिर्राज, भरतलाल पिसरान रतनलाल दर्ज किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया।

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ने अपने पत्रांक भूअ/2022/329 दिनांक 28.4.2022 के साथ पटवारी हल्का उदेईखुर्द व भू अभिलेख निरीक्षक उदेईखुर्द की मूल जॉच रिपोर्ट मय नामा. 180, 782, 1242, 1453, 1790 इस न्यायालय को भिजवायी है।

इस रिपोर्ट मे पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक ने मुख्य रूप से यह तथ्य अंकित किया है कि वादीगण ने उनके पिता का नाम जो रिकॉर्ड मे रामजीलाल दर्ज किया गया है के आधार पर बैंकों से ऋण लिया है तथा ऋण का भुगतान किया है तथा इसी नाम के अनुसार रहन के नामा. व रहन से बागुजास्ती के नामान्तकरण दर्ज हुए है।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल खतौनी बंदोवस्त संवत 2008–20, नकल जमाबंदी संवत 2076–2079 खाता संख्या 343, 329, 91 ग्राम उदेईखुर्द प्रस्तुत किये है।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने वाद के अनुसार बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादपत्र के अवलोकन से विदित है कि वादीगण ने अपने वादपत्र मे यह अंकित किया है कि वादीगण के पिता रतनलाल व रामजीलाल आपस मे भाई थे। रामजीलाल के मरने के बाद उसकी विरासत वादीगण के नाम, वादीगण को मृतक रामजीलाल का पुत्र बना कर दर्ज की गई है जबकि विरासत वारिस के आधार पर दर्ज करनी चाहिए थी ना कि पुत्र के आधार पर। वादीगण ने यह तथ्य जो अपने वादपत्र मे अंकित किया है उसके समर्थन मे वादीगण के नाम खोले गये विरासत के नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नही की है जो कि प्रकरण का मुख्य दस्तावेज है। रतनलाल के लाऔलाद फौत होने के बाद उसकी विरासत इसके भाई रामजीलाल एवं बहिनों के नाम स्वीकार होना चाहिए थी परन्तु ऐसा नही किया जाकर मृतक रतनलाल की विरासत उसके रामजीलाल भाई के पुत्रों के नाम पर खोली गई है जो नियमानुसार सही नही है। इसके अतिरिक्त पटवारी व भूअभिलेख निरीक्षक उदेईखुर्द की जो रिपोर्ट तहसीलदार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudhakar Meena
Date: 2026.02.25 16:39:24 IST
Reason: Self Attested

पत्रांक भूअ/2022/329 दिनांक 28.4.2022 के साथ जो प्राप्त हुई है उसके अनुसार वादीगण ने बैकों से जो ऋण वादग्रस्त भूमि से लिया है उसमे पिता का नाम रामजीलाल के नाम के आधार पर ही लिया है एवं इसी नाम के आधार पर वादग्रस्त भूमि को रहन से मुक्त कराया है। जब वादीगण पूर्व मे वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे पिता के नाम रामजीलाल के आधार पर बैंक से ऋण ले चुके है और वह भी वर्ष 2004 मे तो वादीगण को दिनांक 1.10.2020 को वादकारण उत्पन्न होने का जो तथ्य है वह स्वतः ही गलत हो जाता है। इस प्रकार वादीगण ने प्रकरण मे ना तो विरासत के नामान्तकरण को प्रस्तुत किया है और ना ही वादकारण की दिनांक सही अंकित है क्योकि इनको पिता का नाम रामजीलाल दर्ज होने की जानकारी वर्ष 2004 मे भी थी और इस आधार पर उन्होने बैंक से ऋण भी उठाया है। इस प्रकार वादीगण का वादपत्र तथ्यो के विपरीत होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/9/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:39:24 IST
Reason: SelfAttested